न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया RAS

GCMS संख्या – 2021/447

प्रकरण संख्या – 17/21

अनवान

श्री कालु बनाम श्री प्यारा व अन्य

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

– : :आदेश: : – **दिनांक : 15.05.2025**

1. प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा व शाश्वत् निषेधाज्ञा हेतु तथाकथित विक्रय विलेख दिनांक 10.08.1972 एवं 26.06.1972 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से निष्पादित करना अभिलिखित करते हुए प्रस्तुत किया है। उक्त विक्रय विलेख अनुसुचित जाति के सदस्य के द्वारा गैर अनुसुचित जाति के सदस्य के पक्ष में होना बताया है ऐसी स्थिति में तथाकथित विक्रय यदि माना भी जाता है तो लोक निति के विरूद्ध होकर उक्त विक्रय के आधार पर वादीगण एवं वादीगण के पुर्वाधिकारी को किसी प्रकार के कोई अधिकार सृजित नहीं होते। वाद का अन्य आधार प्रतिकुल अधिपत्य के आधार पर अभिलिखित किया जाता है प्रतिकुल अधिपत्य के आधार पर खातेदारी अधिकारी विधि अनुसार सृजित नहीं होते। वादीगण या वादीगण के पुर्वाधिकारी के द्वारा तथाकथित विक्रय दिनांक से लेकर वाद प्रस्तुत करने तक खातेदारी अर्जित होने की सूचना तहसीलदार जी या अन्य किसी राजस्व अधिकारी को नहीं दी है तथा कई अर्से से राजस्व अभिलेखो में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खातेदारी की हैसियत से दर्ज चला आ रहा है जिसे देखकर प्रतिफल के बदले प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 से भूमि को 3,21,000/–रू तीन लाख इक्कीस हजार रूपये प्रतिफल के बदले दिनांक 14.09.2012 को क्रय की एवं कब्जा प्राप्त किया। उक्त विक्रय वादी पक्ष की जानकारी में होकर वैध है वादी ने अपने वाद में यह कथन किया है कि विक्रय जो प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में है वह शुन्य प्रभावी है, मानने योग्य नहीं है। उक्त के अलावा अन्य कोई आधार वाद में अभिलिखित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में पुरे वाद के अवलोकन करने से घोषणा एवं शाश्वत् निषेधाज्ञा हेतु कोई वादकरण उत्पन्न नहीं होता। ऐसी स्थिति में वाद को आगे चलाने का कोई सार्थक प्रयोजन का हल नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।
2. प्रकरण में वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस की गई। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस सुनी।
3. अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

   I. RRT 2025 (1) 324 RAJASTHAN HIGH COURT (JAIPUR BENCH) ANANDI LAL AND ANR. VS. DALIP PRAJAPAT AND ORS.

4. पत्रावली के अवलोकन व प्रार्थना पत्र के अध्ययन से पाया कि अधिवक्ता वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है [illegible] बताया कि वादग्रस्त आराजी न. 5, 6 किता 2 रकबा 6 बिघा 4 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि को [illegible] आराजी न. 3 रकबा 6 बिघा [illegible] से 1/3 हिस्से को पुर्व खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विक्रय दिनांक 26.06.1972 को वादी संख्या 1 से 3 को हिस्से बराबर से विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया उक्त विक्रय पत्र दिनांक 10.08.1972 को पंजिकृत करा दिया तभी अर्थात दिनांक 26.06.1972 से ही उक्त आराजीयत पर हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:25:54 IST
Reason: SelfAttested

बराबर से वादीगण का कब्जा चला आ रहा हैं। उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम अंकित हैं। इसी प्रकार आराजी संख्या 4 रकबा 3 बिघा 18 बिस्वा भूमि जो वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 2, 3 के नाम अंकित हैं के 3/4 हिस्से अर्थात 2 बिघा 16 भूमि एवं वादपत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित आराजी आ. चा. के 1/3 हिस्से को पुर्व खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 26.06.1972 को वादी संख्या 1 से 3 के पिता एवं वादी संख्या 4 के दादा श्री भेरा को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया जिसका पंजियन दिनांक 10.08.1972 को करवा दिया तभी से अर्थात दिनांक 26.06.1972 से ही वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजी के 56/78 हिस्से पर एवं वाद की कलम संख्या 3 में वर्णित आराजी चाह के 1/3 हिस्से पर कब्जा श्री भेरा के जीवन काल में उसका तथा श्री भेरा देहावसान के पश्चात वादी संख्या 1 से 4 का हिस्से बराबर से चला आ रहा है। यह कि वादग्रस्त आराजीयात में उपरोक्त वर्णनानुसार प्रतिवादी संख्या 1 का किसी भी प्रकार का कोई भी हक, अधिकार अथवा अधिपत्य शेष नहीं रहते हुए भी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीपक्ष के विरूद्ध एक वाद धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कब्जेयाबी (कब्जा प्रपत करने के लिये) बाबत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण संख्या 100/1976 रे.वाद है। उक्त वाद माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 20.06.1983 को डिक्री किया गया। जिसकी अपील वादीपक्ष द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयुपर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो दिनांक 13.11.1986 को स्वीकार की जाकर माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दिया गया, जिसके मुकदमा नं. अपील संख्या डिक्री 151 सन् 83 है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 13.11.1986 के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आगे कोई भी अपील अथवा अन्य कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। जिससे माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर का निर्णय अंतिम हो गया है।

5. यह कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 का किसी भी प्रकार का कोई भी हक, अधिकार एवं आधिपत्य नहीं होते हुए भी प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजीयात राजस्व अभिलेखों में उसके नाम अंकित रह जाने मात्र के आधार पर वादीगण की पीठ पीछे एक नुमायशी विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष दिनांक 14.09.2012 निष्पादित कर पंजिकृत करवा दिया जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 ने वादग्रस्त आराजीयात को उसके नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करवा दिया। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र दिखावटी एवं नुमायशी होने के कारण वादीगण के विरूद्ध बैअसर होकर शुन्य प्रभावी है। चुंकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को दिनांक 26.06.1972 को ही वादी वादी पक्ष को विक्रय किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है एवं वादीपक्ष के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किये हुए है जिससे प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र पश्चातवर्ती विक्रय पत्र होने के कारण शुन्य प्रभावी (Void Sale deed) होने के कारण वादीगण के विरूद्ध बेअसर है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष के निष्पादित विक्रय पत्र इस कारण भी शुन्य प्रभावी है कि उसमें कब्जा सुपुर्द किये जाने का अंकन किया गया है जो किसी भी स्थिति में सम्भव नहीं है एवं जहां कब्जे के बिना कोई भी विक्रय पत्र निष्पादित किया गया हो अथवा इस हेतु मिथ्या अंकन किया गया हो तो वह विक्रय पत्र विधिक प्रावधानों के अनुसार शुन्य प्रभावी विक्रय पत्र है जिससे वादीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया।

6. प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया सहिता का पेश कर बताया कि वादीगण ने घोषणा व [illegible] निषेधाज्ञा का वाद तथाकथित विक्रय विलेख दिनांक 10.08.1972 एवं 26.06.1972 के [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से निष्पादित करना अभिलिखित करते हुए [illegible] किया है [illegible] विक्रय विलेख अनुसुचित जाति के सदस्य के द्वारा गैर अनुसुचित जाति के सदस्य के [illegible] में होना बताया है ऐसी स्थिति में तथाकथित विक्रय यदि माना भी जाता है तो लोक [illegible] के विरूद्ध होकर उक्त विक्रय के आधार पर वादीगण एवं वादीगण के पुर्वाधिकारी को किसी प्रकार के कोई अधिकार सृजित नहीं होते। प्रतिवादी संख्या 2 के उक्त कथन के संबंध में जब हम पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज विक्रय पत्र को देखते है तो पाते है कि वादग्रस्त आराजीयात का प्रतिवादी संख्या 1 प्यारा पिता मोडा मेघवाल द्वारा कालुजी, परथाजी, गोकलजी पिता भेरा मीणा के पक्ष में विक्रय पत्र व अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:25:54 IST
Reason: SelfAttested

विक्रय पत्र श्री भेरा पिता कसना जी मीणा के पक्ष में निष्पादित करवा कर दिनांक 10.08.1972 को पंजिकृत कराया है। उक्त दोनों विक्रय पत्र अनुसुचित जाति के सदस्य द्वारा अनुसुचित जनजाति के सदस्य के पक्ष में निष्पादित करवाया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42B का स्पष्ट उल्लंघन हैं। इस संबंध में जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42B को देखते है तो पाते है कि **उक्त धारा में स्पष्ट प्रावधान है कि " अनुसुचित जाति के सदस्य द्वारा गैर अनुसुचित जाति के सदस्य को किया गया अन्तरण आरम्भतः ही शुन्य है।"** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42B के तहत अनुसुचित जाति का व्यक्ति अपनी भूमि को अनुसुचित जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरित कर सकता है। उक्त प्रकरण में अनुसुचित जाति के व्यक्ति द्वारा अनुसुचित जनजाति के व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरण किया गया है जो प्रारम्भतः से शुन्य है जो विधि द्वारा वर्जित हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRT 2025(1) RRT 324 RAJASTHAN HIGH COURT (JAIPUR BENCH) ANANDI LAL AND ANR. VS. DALIP PRAJAPAT AND ORS. का पेश किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया की RAJASTHAN TENACY ACT, 1955 - SECTION 88 AND 42-SUIT FOR DECLARATION AS KHATEDAR ON THE BASIS OF ADVERSE POSSESSION – PETITIONER PURCHASED THE LAND OF A MEMBER OF SCHEDULED CASTE ON 6-7-1965 IN VIOLATION OF SECTION 42-PETITIONERS ARE NOT ENTITLED TO CLAIM KHATEDARI RIGHTS ON THE BASIS OF ADVERSE POSSESSION ON LAND OF A PERSON OF SCHEDULED CASTE-EARLIER PROCEEDINGD WERE UNDER SECTION 175 AND 183-B THEREFORE PRINCIPLE OF RES JUDICATA IS NOT APPLICABLE – HELD, INTERFERNCE IN CONCURRENT JUDGMENTS OF DECLINING KHATEDARI RIGHTS IS NOT WARRANTED. उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर हुबहु चस्पा होता है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया है कि अनुसुचित जाति के सदस्य की धारा 42 के उल्लंघन में भूमि क्रय की–अनुसुचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी का दावा करने हेतु याचीगण हकदार नहीं है। अतः वादी द्वारा पेश वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित हैं। इस संबंध में जब हम सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन करते है तो पाते है कि वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर किया जाएगा–

I. जहाँ वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है।

II. जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

III. जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

IV. जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

V. जहां यह दो प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता है।

VI. जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वाद विधि द्वारा वर्जित होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता की श्रेणी में आता हैं। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाता हैं तथा वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:25:54 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धम में इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 17/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/447

अनवान

1. श्री कालू पिता भेरा जी मीणा निवासी रामा की भागल, मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.– मृतक के वजाय

1/1 श्री उदय सिंह पिता कालू मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.

1/2 श्री धन सिंह पिता कालू मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.

1/3 श्रीमती काशीवाई पुत्री कालू मीणा पत्नी गोतम मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर हाल मुकाम मुजवा तहसील वडी सादडी जिला चित्तौडगढ राज.।

1/4 श्रीमती नाथीवाई पुत्री कालू मीणा पत्नी भगवानलाल मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. हाल मुकाम पेमाखेडा तहसील भोपालसागर जिला चित्तौडगढ राज.।

2. श्री परथा पिता भेरा जी मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. मृतक के वजाय–

2/1 श्री राम सिंह पिता परथा मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2/2 श्री उंकार सिंह पिता परथा मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2/2/1 श्रीमती मांगीवाई पत्नी उंकार सिंह मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2/2/2 श्री नानालाल पिता उंकार सिंह मीणा नावालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती मांगीबाई पत्नी उंकार सिंह मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2/2/3 सुश्री लक्ष्मी पुत्री उंकार सिंह मीणा नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती मांगीबाई पत्नी उंकार सिंह मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2/3 श्री मोहन सिंह पिता परथा मीण निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2/4 श्री मगन सिंह पिता परथा मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2/5 श्रीमती रूपी वाई पुत्री परथा मीणा पत्नी रूपलाल मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. हाल मुकाम पेमाखेडा तहसील भोपालसागर जिला चित्तौडगढ राज.।

3. श्री गोकल पिता भेरा मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. – मृतक के वजाय

3/1 श्री नन्द सिंह पिता गोकल मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

3/2 श्री भगवत सिंह पिता गोकल मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

3/3 श्री केसर सिंह पिता गोकल मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

3/4 श्री वालू सिंह पिता गोकल मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

3/5 श्रीमती वरदी वाई पुत्री गोकल मीणा पत्नी गोकल मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

3/6 श्रीमती वरदी वाई पुत्री गोकल मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

3/7 श्रीमती मांगीवाई पुत्री गोकल मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:25:54 IST
Reason: SelfAttested

4. श्री मोती सिंह पिता दल्ला जी मीणा निवासी रामा की भागल मजरा हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

...........वादीगण

बनाम्

1. श्री प्यारा पिता श्री मोडा जी मेघवाल निवासी हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री गुलाब चन्द पिता श्री खुमाण जी वीरवाल जाति खटीक निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर मृतक के बजाय–

2/1 श्री नितेश पुत्र गुलाबचन्द खटिक जाति खटीक निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर राज.।

2/2 श्री महेन्द्र कुमार पिता गुलाबचन्द खटीक जाति खटीक निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर राज.।

2/3 श्रीमती गीता पुत्री गुलाबचन्द खटीक जाति खटीक निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर राज.।

2/4 श्रीमती चन्दा देवी पुत्री गुलाबचन्द खटीक जाति खटीक निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर राज.।

2/5 श्रीमती बदामी देवी पत्नी गुलाबचन्द खटीक जाति खटीक निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर राज.।

3. श्री केरिंग पिता श्री नन्दा जी मेघवाल जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द राज. मृतक के बजाय–

3/1 श्री रामलाल पिता केरिंग मेघवाल जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द राज.।

3/2 श्रीमती लक्ष्मी पुत्री केरिंग मेघवाल जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द राज.।

3/3 श्री मांगीलाल मेघवाल पिता केरिंग मेघवाल जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द राज.–मृतक के बजाय

3/3/1 श्री कैलाश पिता मांगीलाल मेघावाल जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द राज.।

3/3/2 श्री दिनेश पुत्र मांगीलाल मेघवाल जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द राज.।

3/3/3 श्री विजय पुत्र मांगीलाल मेघवाल जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द राज.।

3/3/4 श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी मांगीलाल मेघवाल जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द राज.।

4. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

...........प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1 श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता वादी।

2 श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 17/21 (वाद)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसा लकतई रुबरु श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. मिनजानि बमुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :– परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:25:54 IST
Reason: SelfAttested